

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 01/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भरतपुर।

आवेदक

**बनाम**

मुकेश चन्द गुप्ता पुत्र रोशन लाल गुप्ता (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स आदर्श  
डेयरी, दही वाली गली, भरतपुर निवासी-ए-56 जवाहर नगर, भरतपुर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायल स्वयं

**निर्णय**

दिनांक : 12.07.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स  
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 04.01.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को  
जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। नियत दिनांक 12.07.2021 को  
गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया  
गया कि दिनांक 10.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स आदर्श डेयरी, दही

Page 1 of 3

*De*  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)


वाली गली, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक की एक 50 किग्रा० भराव क्षमता वाली टंकी में करीब 50 किग्रा० क्रीम (मिडियम फैट) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/2020/397 दिनांक 23.07.2020 द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) का नमूना अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक (Substandard Food) प्रकृति की क्रीम का विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स आदर्श डेयरी, दही वाली गली, भरतपुर से क्रीम (मिडियम फैट) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त क्रीम (मिडियम फैट) को जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। दिनांक 10.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु क्रीम (मिडियम फैट) करीब 50 किग्रा० रखी हुई पाई गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/2020/397 दिनांक 23.07.2020 द्वारा उक्त क्रीम (मिडियम फैट) का नमूना अवमानक स्तर (Substandard Food)

प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दि. 12.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)